मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2014 (फाल्गुन 14, 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा श्री मधुकर मरमट , भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर शोकोद् गार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई. दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.37 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.42 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. जन्मदिन पर शुभकामनाएं

सर्वश्री आरिफ अकील, सदस्य, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, बाबूलाल गौर, गृह मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री महोदय, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य तथा अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाइयां देकर शुभकामनाएं व्यक्त की गई.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुभकामनाओं हेतु सबके प्रति आभार व्यक्त किया गया.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 85 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 97 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य द्वारा निर्माणाधीन कार्यो की जानकारी संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 273) पर शासन द्वारा जांच के आदेश नहीं देने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया.

श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य के कृषि फसल की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान बाबत् तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 26) पर शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर्वश्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना, आरिफ अकील, सुन्दरलाल तिवारी तथा निशंक कुमार जैन,सहित अनेक सदस्यगण गर्भगृह में आए तथा अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर अपने आसनों पर वापस गये.

माननीय सदस्यगण द्वारा परस्पर नारेबाजी तथा आरोप-प्रत्यारोप के कारण कार्यवाही में व्यवधान हुआ. अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने हेतु अनुरोध किया गया. किन्तु, अत्यधिक व्यवधान होने के कारण, कार्यवाही 11.25 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर, 11.33 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 13 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार –

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के महाविद्यालयों में रैगिंग बंद न होने.
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की लेबड नयागांव फोरलेन सड़क निर्माण में अनियमितता होने,
(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली के ग्राम सेमराहट में निर्माणाधीन विद्यालय भवन धराशायी होने.
(4) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी के भैरोगंज में पानी की टंकी का निर्माण अपूर्ण होने.
(5) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन जिले में नदी के घाटों का विस्तार नये तरीके से किये जाने,
(6) श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल, सदस्य की सीधी जिले की ग्राम पंचायत चौराही द्वारा उत्खनन एवं पहुंच मार्ग में लगे श्रमिकों का भुगतान न किये जाने,
(7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की चंबल नदी के बाईं ओर के किसानों को सिंचाई सुविधा न मिलने,
(8) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर में सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों के ऋण की अदायगी अवधि बढ़ाने,
(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के मिहोना लहार मार्ग का निर्माण कार्य घटिया होने,
(10) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की शा. चिकित्सालयों में मरीजों को बाजार की दवाएं न लिखी जाने,
(11) श्री हर्ष यादव, सदस्य की संवर्ग संविदा शिक्षकों को शिक्षक वर्ग 3 की तरह वेतनमान का भुगतान न होने,
(12) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की इंदौर के इमली चौराहे स्थित पुल का भाग गिरने तथा
(13) श्री घनश्याम पिरोनियां, सदस्य की भाण्डेर क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क मार्ग अपूर्ण होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने –
(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 तथा
(ख) नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की वार्षिक लेखा रिपोर्ट, वर्ष 2012-13,
पटल पर रखीं.

6.ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 13 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर लिए जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री रामनिवास रावत तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना द्वारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत ऋण वितरण में आर्थिक अनियमितता के दोषियों पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा तथा सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्यगण ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा इंदौर सहित अन्य नगरों के छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र न दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) सर्वश्री मुकेश नायक, जितू पटवारी तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण ने सतना जिले के कोलगवां थाने की पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) डॉ. मोहन यादव तथा श्री रमेश मेन्दोला, सदस्यगण ने उज्जैन शहर की बंद दो कपड़ा मिलों के मजदूरों को उनके स्वत्वों का भुगतान न किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 4 के उप पद (5) से (13) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में जर्जर टंकियों को तोड़े जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(6) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की जबलपुर एवं होशंगाबाद संभागों में कृषकों को फसल बीमा की राशि न दिये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(7) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले में लोक सेवा गारंटी योजना के तहत गरीबी रेखा के परमिट जारी किये जाने में अनियमितता संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(8) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत ललपुर में कपिलधारा कूप निर्माण में अनियमितता संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(9) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की जबलपुर से लखनादौन तक सड़क निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा कम दर से दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में स्वाईन फ्लू नामक बीमारी फैलने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की मुरैना जिले के दिमनी क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्य पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य की धार जिले के ग्राम टोंकी में सीमेंट उद्योग हेतु उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी जिले में वृद्धावस्था पेंशन न मिलने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला – मुरैना)
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला - मन्दसौर)
(3) श्री आरिफ अकील (जिला - भोपाल)
(4) कुँवर विक्रम सिंह (जिला – छतरपुर)
(5) श्री नारायण त्रिपाठी (जिला – सतना)
(6) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला - सागर)
(7) श्री तुकोजीराव पवार (जिला -देवास)
(8) श्री हितेन्द्रसिंह ध्यानसिंह सोलंकी (जिला – खरगोन)
(9) श्री वेल सिंह भूरिया (जिला - धार)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

9. शासकीय वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा :-

(1) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने,

(2) लोक निर्माण विभाग में भवन निर्माण के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) का प्रत्येक जिले में गठन एवं राज्य तथा परिक्षेत्र स्तर पर पदों की संरचना एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने तथा

(3) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवनों हेतु निजी वास्तुविदों / सलाहकारों से वास्तुविदीय सेवाएं लिये जाने एवं अधीक्षण यंत्रियों को वित्तीय / तकनीकी अधिकार सौंपे जाने संबंधी वक्तव्य दिये गये.

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) पर विचार किया जाय तथा इस संबंध में भाषण दिया.

श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य द्वारा चर्चा में भाग लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के कारण फसलों की क्षति होने संबंधी सर्वश्री सत्यदेव कटारे, संजय पाठक तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत, दिनांक 3 एवं 4 मार्च, 2014 को हुई चर्चा के क्रम में, निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :--

24. श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

25. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी

(अपराह्न 1.00 से 2.33 बजे तक अन्तराल)

26. कुंवर विक्रम सिंह
27. श्री गोविन्द सिंह पटेल
28. श्री लाखन सिंह यादव
29. श्रीमती ऊषा चौधरी
30. श्री जयवर्द्धन सिंह
31. श्री जालम सिंह पटेल
32. श्री निशंक कुमार जैन
33. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
34. श्री घनश्याम पिरोनियां
35. श्री दिनेश राय मुनमुन
36. सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
37. श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल
38. श्री आशीष शर्मा
39. श्री विजय सिंह सोलंकी
40. श्री नारायण त्रिपाठी
41. श्री प्रेमसिंह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

42. श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल
43. श्री सोहनलाल बाल्मीक
44. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
45. डा. रामकिशोर दोगने
46. श्री राजेश सोनकर
47. श्री हरदीप सिंह डंग
48. श्री जतन उइके
49. श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अपनी बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.)

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

12. प्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रबंध मंडलों के लिए सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडलों के लिए राज्य विधान सभा के क्रमश: तीन-तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन-तीन उम्मीदवार शेष हैं. चूंकि दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के प्रबंध मण्डलों के लिए केवल तीन-तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं, अत: निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्री तरूण भनोत

2. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(1) श्री जयभान सिंह पवैया
(2) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार
(3) श्री लाखन सिंह यादव

13. समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा

(1) लोक लेखा समिति

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि लोक लेखा समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं, अत: वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को लोक लेखा समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1. श्री ओमकार सिंह मरकाम
2. श्री अंचल सोनकर
3. श्री कैलाश चावला
4. श्री गिरीश गौतम
5. श्री नारायण त्रिपाठी
6. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
7. श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
8. पंडित रमेश दुबे
9. श्री शैलेन्द्र जैन
10. श्री शंकरलाल तिवारी
11 श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(2) प्राक्कलन समिति

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि प्राक्कलन समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं। अत:वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को प्राक्कलन समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है:-

1. श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
2. श्री जसवंत सिंह हाड़ा
3. श्री दिलीप सिंह परिहार
4. श्री यादवेन्द्र सिंह
5. श्री योगेन्द्र सिंह बाबा
6. श्री रजनीश हरवंश सिंह
7. श्री राजेन्द्र पाण्डेय
8. श्री रामप्यारे कुलस्ते
9. श्री रामेश्वर शर्मा
10. श्री विजयपाल सिंह
11 श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं। अत: वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1. श्री केदारनाथ शुक्ल
2. श्री चेतन काश्यप
3. श्री चेतराम मानेकर
4. श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
5. डॉ. मोहन यादव
6. श्री मेहरबान सिंह रावत
7. श्री राजेश यादव
8. डॉ. रामकिशोर दोगने
9. श्रीमती ललिता यादव
10. श्री शैलेन्द्र पटेल
11 श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल

श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 15 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 15 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं। अत: वर्ष 2014-15 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1. श्री कुंवर सिंह टेकाम
2. श्री देवेन्द्र वर्मा
3. इंजी. प्रदीप लारिया
4. श्री प्रहलाद भारती
5. श्री भारत सिंह कुशवाह
6. सुश्री मीना सिंह
7. श्री रणजीत सिंह गुणवान
8. श्री रामलल्लू वैश्य
9. श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू
10. श्री सतीश मालवीय
11. श्री सोहनलाल बाल्मीक
12. श्री संजय शाह मकड़ाई
13. श्री संजय उईके
14. श्री संजीव छोटेलाल उईके
15. श्री हर्ष यादव

श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

14. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उदगार व्यक्त किये गये:-

चतुर्दश विधान सभा का द्वितीय सत्र अब समाप्ति की ओर है . इस लघु सत्र में सदन की कुल 3 बैठकें हुई. इस सत्र में सदन ने वर्ष 2013-14 की तृतीय अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान की, वहीं वर्ष 2014-15 के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं लेखानुदान को स्वीकृति प्रदान की गई. कुल 3 शासकीय विधेयक पारित किये गये.

इस सत्र में कुल 601 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 342 तारांकित एवं 259 अतारांकित प्रश्न थे. ध्यानाकर्षण की कुल 156 सूचनाएं प्राप्त हुई. सदन में 58 याचिकाएं प्रस्तुत हुई और शून्यकाल की 28 सूचनाएं पढ़ी गई. नियम 139 के अधीन अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के महत्वपूर्ण विषय पर, दलगत भावना से ऊपर उठकर सार्थक चर्चा की गई.

संसदीय लोकतंत्र चर्चा और संवाद के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचने की एक पद्धति है. विचार-विनिमय की यह प्रक्रिया सदनों में संपन्न होती है, जो नियमों और परम्पराओं के दायरे में बंधी होती है. संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संवाद अबाध रूप से हो, किन्तु नियम-प्रक्रिया के तहत हो. लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष महत्वपूर्ण घटक होते हैं इसलिए सहमति-असहमति होना स्वभाविक है, लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि कार्यवाही बाधित करने से चर्चा के अवसर व्यर्थ न हो जाएं, क्योंकि हम सब प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं. हम सभी जनसेवा और जन कल्याण की भावना से यहां आए हैं. अत: हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उपलब्ध समय और अवसर पर पूरा लाभ उठाएं ताकि जन-आंकाक्षाओं की पूर्ति हो सके.

इस लघु सत्र के सुचारू संचालन में माननीय सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रीगण, सभापति तालिका के सदस्यगण और सभी माननीय सदस्यगण का जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं आभारी हूं. सत्र के कार्यो में सक्रिय सहयोग देने के लिए मैं विधान सभा और शासन के अधिकारी-कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद् देता हूँ. मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों को भी धन्यवाद् देता हूं जिन्होंने पल-पल की कार्यवाही को आम लोगों तक पहुँचाया.

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को होली, गुड़ी पड़वा और चैती चाँद की हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख-समृद्धि की कामना करता हूं. अगले सत्र में हम सब पुन: समवेत होंगे. धन्यवाद्.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री महोदय ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये.

15. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

अपराह्न 5.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 5 मार्च, 2014